न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 17 / 2023

1 उम्मेद कंवर पत्नी भंवरसिंह।
2 गुमान कंवर पत्नी करणसिंह।
3 जगदीश सिंह पुत्र गोविन्दसिंह।
4 धर्मेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह।
5 बहादुर सिंह पुत्र रावतसिंह।
6 रणवीर सिंह पुत्र भंवरसिंह।
7 रिछपाल सिंह पुत्र करणसिंह।
8 विक्रम सिंह पुत्र करणसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खूड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सरबती देवी पुत्री भगवानाराम जाति नायक निवासी खूड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 पृथ्वीसिंह पुत्र भंवरसिंह।
3 पावूसिंह पुत्र रावतसिंह।
4 बजरंग सिंह पुत्र रावतसिंह।
5 सुमेरसिंह पुत्र रावतसिंह।
6 गुडडी कंवर पुत्री रावतसिंह।
7 बिदाम कंवर पुत्री रावतसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खूड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 कॉरपोरेशन बैंक शाखा सीकर जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।

10 पटवारी हल्का जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

11 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर भूधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस. प्रार्थना पत्र संख्या 17/2019 बउनवानी सरबती देवी बनाम उम्मेद कंवर आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 09.02.2023

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री जसवन्त सिंह भूरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 31.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 17/2019 में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के यहांअपीलाधीन आवेदन संख्या 17/2019 उनवानी सरबती देवी बनाम उम्मेद कंवर आदि दिनांक 11.12.2019 को प्रस्तुत किया गया जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारीशुद्दा भूमि खसरा नम्बर 763/306 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 7 की भूमि खसरा नम्बर 317 के बीच में से होता हुआ खसरा नम्बर 314 के पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे व खसरा नम्बर 313 के पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 305 बजड़ जोहड़ सरकारी भूमि के दक्षिणी पश्चिमी तरफ से रेस्पोडेंट संख्या 1 के खेत तक वाके ग्राम जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर 12 फिट चौड़ा रास्ता आवागमन के काम में आ रहा होने का अभिकथन करते हुये उसे राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबंदी के कटानी रास्ता अंकित किये जाने के आदेश फरमाये जाने निमित प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में प्रकियात्मक विधि के आदेशात्मक प्रावधानों की घोर अवहेलना करते हुये अपीलाधीन आवेदन में नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ भू–अभिलेख निरीक्षक खुडी तथा पटवारी हल्का जसरासर द्वारा अवैध रूप से तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 16.09.2022 के आधार पर अपीलाधीन आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया अपीलाधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ही प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलाधीन आवेदन धारा अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में ही नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक विधि के आदेशात्मक प्रावधानों की घोर अवहेलना करते हुए पारित किया गया होने के कारण भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के समस्त अप्रार्थीगण की न तो तामीली कार्यवाही सम्पादित की गई तथा न ही उन्हे जवाबदेही एवं सबूत साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदत्त किया गया न ही प्रकरण के गुणावगुण पर किसी तरह की बहस सुनी गई। अपीलाधीन प्रार्थना पत्र की अप्रार्थी संख्या 3 गुलाब कंवर का देहान्त अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के विचारण के दौरान दिनांक 12.11.2021 को हो चुका है जिसके विधिक वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 7 है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के विचारण के दौरान अपीलाधीन प्रार्थना पत्र की अप्रार्थीनी संख्या 3 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने निमित कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति गुलाब कंवर पत्नी रावतसिंह के खिलाफ पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जिस तहसील लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2022/3297 दिनांकित 14.11.2022 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, अपीलांट्स द्वारा उक्त रिपोर्ट पर विधिवत आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 05.01.2023 को उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई थी तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी वास्ते आदेश आपत्ति एवं देखने तलबी ही निर्धारित की गई थी। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशियां दिनांक 10.01.2023,12.01.2023,19.01.2023,31.01.2023,07.02.2023 बिना किसी कार्यवाही निर्धारित की जाकर दिनांक 09.02.2023 अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत किया गया आपत्ति आवेदन खारिज किया जाकर बिना समस्त पक्षकारान की तामीली कार्यवाही करवाये बिना तथा बिना अपीलांटस को जवाबदेही सबूत साक्ष्य प्रस्तुति तथा बहस का अवसर प्रदत्त कियें बिना ही मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने निमित अवैध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 251ए में संक्षिप्त कार्यवाही होती है। रास्ते के अभाव में भूमि पड़त पड़ी है। प्रस्तावित रास्ते पर कोई मकान नही है। वैकल्पिक रास्ते का कोई साक्ष्य नही है। अप्रार्थी सागर की तामील की रसीदे लगी हुई है। गुलाब की फौतगी की सूचना पत्रावली पर नही है। गुलाब के विरूद्व पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हो गये थे। बाहमी विभाजन के अनुसार सीमा के साथ–साथ रास्ता प्रस्तावित किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 05.01.2023 में अंकित है कि उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस आपत्ति रिपोर्ट तहसीलदार पर सुनी गई। पत्रावली आदेश आपत्ति व देखने तलबी शेष हेतु आईन्दा दिनांक 10.01.2023 को पेश हो। 10.01.2023 के उपरान्त पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अंकन किये बिना दिनांक 09.02.2023 को विचारण न्यायालय द्वारा सीधे ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने समस्त पक्षकारान की तामील सम्यक रूप से नही करवाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 गुलाब कंवर पत्नी रावतसिंह का दिनांक 12.01.2021 को देहान्त हो चुका है। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि समस्त अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल के उपरान्त मृत अप्रार्थी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर